न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 207/2020 जिला दौसा जीसीएमएस नम्बर 2020/00286

1. सत्येन्द्र कुमार कट्टा पुत्र श्री राधेश्याम कट्टा जाति महाजन निवासी बसवा रोड, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्

बनाम

1. लोकमान्यसिंह पुत्र स्व0 श्री कुशालसिंह जाति राजपूत निवासी बांदीकुई जागीर तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा।

उपस्थित—

1. श्री छोटेलाल मीना वकील अपीलान्ट
2. श्री सुबोध कुमार जैन रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक —20.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 11.09.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर ग्राम बांदीकुई जागीर तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1820/423 रकबा 0.25 है0 व खसरा नं. 431 रकबा 1.42 है0 की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 को प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर उप तहसीलदार बसवा जिला दौसा को उक्त खसरा नम्बरों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 11.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री सत्येन्द्र कुमार कट्टा पुत्र श्री राधेश्याम कट्टा द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 11.09.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम बांदीकुई जागीर तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1820/423 रकबा 0.25 है0 के खातेदार व

काश्तकार नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह से अपीलांट व उसके भाई सुनिल कट्टा द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र कुछ भाग खरीद कर मौके पर कब्जा संभाल लिया तथा खरीद के दिन से भूमि पर बहैसियत काबिज चले आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट नं 1 द्वारा एक साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण व पडौसी खोतेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त खसरा नम्बरों के पत्थरगढी के आदेश करवा लिये। समीपस्थ खातेदार होने के बाबजूद भी रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया एवं पूर्व में तहसीलदार व उपतहसीलदार बांदीकुई द्वारा अपनी रिपोर्ट में घनी आबादी मानते हुए एवं मौके पर सीधी जरीफ चलाई नहीं जाने के कारण से सीमाज्ञान नहीं किया जा सकता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने एक साधारण प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 11.09.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि का पूर्व में दिनांक 23.06.2016 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान के मार्क/निशान को हटा दिया गया। पडौसी खातेदारान् से सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के समय पत्थरगढी किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी की जॉच व मौके पर कब्जे की जॉच पश्चात् ही उप तहसीलदार बसवा को प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 03.01.2020 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेण्ट नं 1 द्वारा वाके ग्राम बांदीकुई जागीर तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित विवादित भूमि खसरा नं. 423 व 431 का एक साधारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर द्वारा ई0 वी0 एस0 मशीन से अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 14.09.2018 को सीमाज्ञान किया जावेगा जिस बाबत् प्रार्थी सीमाज्ञान के साथ–साथ पत्थरगढी भी करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 को एक साधारण प्रार्थना पत्र पर एक साथ ही सीमाज्ञान के समय उपस्थित रहकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ना तो सीमाज्ञान रिपोर्ट, ना ही जमाबन्दी एवं पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा का आदेश दिनांक 11.09.2018 उचित व विधिसम्मत् नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

11.09.2018 में पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा का निर्णय दिनांक 11.09.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर